नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने तथा प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय अंकेक्षण विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद रामपुर बुशैहर में निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी तैनात थे।

प्रधान

क्र0 सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री दीपक सूद	1.4.2013 से 31.3.2015

कार्यकारी अधिकारी

1	श्री बाबु राम नेगी	1.4.2013 से 27.8.2013
2	श्री मुकेश शर्मा (तहसीलदार)	4.9.2013 से 1.3.2014
3	श्री बाबू राम नेगी	10.3.2014 से 31.3.2015

(ख) नगर परिषद रामपुर के अवधि 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2015 को शेषों में अन्तर	4	1.03
2	सावधि जमा में निवेश राशियों पर अर्जित ब्याज की कम प्राप्ति करना	5 (ख)	2.60
3	शहर में पार्किंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	6 (ड़)	57.67
4	प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण गृहकर की वसूली का न होना	7 (क)	74.32
5	गृहकर की दर में नियमानुसार संशोधन/लीज़ वृद्धि न करने पर वित्तीय हानि का होना	7 (ख)	18.31
6	नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये एवं लीज की बकाया का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	23.25
7	नगर परिषद द्वारा परिषद निधि से सेवा कर शुल्क का अनियमित भुगतान करना	9	21.16

8	रैन बसेरा के हॉल के किराये की वसूली न करना	14(क)	0.69
9	अन्तरराष्ट्रीय लवी मेला–2013 में कलाकारों को कमेटी से अनुमोदन करवाए बिना ही भुगतान करना	18	2.70
10	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अग्रधन के रूप में अधिक भुगतान करना	31	0.75

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "A" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद द्वारा इन पैरों के निपटाने हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री अनिल कुमार सहायक, नियन्त्रक द्वारा दिनांक 18.2.2016 से 21.5.2016 के दौरान रामपुर बुशैहर में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 11/13, 11/14 तथा व्यय की जांच हेतु माह 10/13 व 2/15 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद रामपुर के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹61000 बनता है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय अंकेक्षण विभाग एस0डी0ए0 कैम्पलैक्स, ब्लॉक नं0ः 38 कसुम्पटी शिमला–9 हि0प्र0 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया तथा उनके द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि चैक संख्याः 723436, दिनांक 20.5.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय अंकेक्षण विभाग शिमला–9 को भेज दी गई।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद रामपुर द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है।

क्र0 सं0	वर्ष	स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल राशि	व्यय	अन्तशेष
1	2013–14	अपने साधनों से आय	8719544	19083107	165101	27967752	25706656	2261096
		अनुदानों से प्राप्त आय	522785	17948746	–	18471531	10881315	7590216
		कुल	**9242329**	**37031853**	**165101**	**46439283**	**36587971**	**9851312**
2	2014–15	अपने साधनों से आय	2261096	24547867	4219084	31028047	28389572	2638475
		अनुदानों से प्राप्त आय	7590216	104315394	–	111905610	74096222	37809388
		कुल	**9851312**	**128863261**	**4219084**	**142933657**	**102485794**	**40447863**

नगर परिषद की रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्तिम शेष ₹40344850 का दर्शाया गया था, जबकि रोकड़ वही के आय व व्यय की प्रविष्टियों के योगों के अनुसार तथा उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को वास्तविक अन्तिम शेष निम्नविवरणानुसार ₹40447863 बनता है। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹1,03,013 का अन्तर पाया गया। रोकड़ वही की इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 23.3.2016 द्वारा सूचित किया, जिसका समाधान अंकेक्षण के समापन तक नहीं किया गया था। अतः नगर परिषद की रोकड़ वही में योगों में पाई गई इन त्रुटियों का निवारण शीघ्र करवाया जाए और दिनांक 31.3.2015 के अन्तिम शेष को ठीक करते हुए आगामी वर्ष के बकाया को नियमानुसार ठीक किया जाए।

Statement of irregularities found in the cash book of MC Rampur for the 4/13 to 3/15

	Balance as per Cash book on 31.3.15		40344850
	The irregularties noticed during audit in the cash book		
1.	Less: the amount wrongly taken in excess in the total of 18.5.2013	1000	
2.	Less: the amount wrongly taken in excess in the total of 14.6.2013	783	
3.	Less: the anount wrongly taken in excess in the total of 29.7.2013	100	
4.	Less: the amount wrongly excess in the total of closing balance in the month of 31.3.2014	7	
5.	Less: the amount wrongly excess in the total of closing balance in the month of 31.3.2014	33	
6.	Less: the amount wrongly excess in the total of opening balance in the month of 1.5.2014	7	
7.	Less: the amount wrongly excess in the total of closing balance on 1.11.2014	500	
8.	less: the amount wrongly excess in the total of closing balance in the month of 31.3.2015	7695	
	Total	**10125**	(-)**10125**
1.	Add: The amount wrongly excess in the total of expenditure on 7.8.2013	783	

2.	Add: The amount wrongly less taken in receipt side of the total of 22.7.2014	48605	
3.	Add: The amount wrongly less taken in receipt side of the total in the month of 10/14	63710	
4.	Add: The amount wrongly less taken in receipt side of the total in the month of 8/15	40	
	Total	**113138**	(+)**113138**
	Actual Closing Bal of Cash Book on 31.3.2015		**40447863**
	Closing Balance shown in the cash book by the MC on 31.3.2015		**40344850**
	Difference in Closing Balance		(+)**103013**

(ii) Bank Reconcilation Statement of MC Rampur Distt. Shimla (H.P)

Balance as per cash book on 31-3-2015				**40344850**
Add	Paise of 0.62 showed in the bank accounts not entred in the cash book			(+)0.62
Add	Cheques issued but not presented for payment			
	Ch. No. & Date	Name of Bank	Amount	
	236430 of 5-3-15	HDFC	10000000	
	759610 of 7-7-14	H.P. Co-operative bank Rampur	2500	
	759613 of 24-7-14	H.P. Co-operative bank Rampur	2500	
	480532 of 1-10-14	PNB	6000	
	896467 of 27-1-15	H.P. Co-operative bank Rampur	2500	
	896498 of 5-3-15	H.P. Co-operative bank Rampur	3600	
	073261 of 9-3-15	State bank of India	9303	
	89648 of 13-2-15	H.P. Co-operative bank	10000	
		Total	10036403	(+)**10036403**
	Less: Ch. sent to bank but not credited			
	375933	on a/c of house tax from Sh. Narander Kumar	51230	
	109340	on a/c of lease of stall from smt. Uma Gupta	10161	
	187560	on a/c of lease of stall from Sh. Chman Sharma	50820	
	407920	on a/c of Service Charges from BSNL, Rampur	38595	
	105258	on a/c of lease of stall from Sh. Vir Singh	144990	
		Difference during audit for the period 4/75 to 3/80 as mentioned in the previous audit report	1001	
			296797	(-)**296797**
	Less: interest given by PNB bank A/c No. 77292 on 31.3.15 but not entred in the cash book		86301	(-)86301
	Less:	Cash in Hand	14478	(-)14478
				397576
		Closing balance as per bank		**49983677.62**

(ख) दिनांक 31.3.2015 तक बैंकों तथा सावधि योजना में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	दिनांक 31.3.2015 तक शेष
1	भारतीय स्टैट बैंक	11156829314	1293040.03
2	भारतीय स्टैट बैंक, रामपुर (CC Account)	34736375733	31796.00
3	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	5226	2336578.00
4	पंजाब नैशनल बैंक, रामपुर	09430001000–77292	2358241.39
5	कैनरा बैंक, रामपुर	324101000097	379952.00
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रामपुर	80514500045	10935720.20
7	आई0सी0आई0सी0 बैंक, रामपुर (CC Account)	162605000045	414564.00
		योग	**17749891.62**
सावधि योजना में जमा राशि का विवरण			
1	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	687972	1750170.00
2	सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रामपुर	310521	1301143.00
3	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रामपुर		1182473.00
4	पी0एन0बी0 बैंक, रामपुर		10000000.00
5	पी0एन0बी0 बैंक, रामपुर		5000000.00
6	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर		6000000.00
7	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर		2000000.00
8	कैनरा बैंक, रामपुर		5000000.00
		योग	**32233786.00**
		कुल योग	**₹49983677.62**

5 निवेश

(क) नगर परिषद रामपुर ने अवधि 31.3.2015 तक सावधि जमा के अन्तर्गत विभिन्न–विभिन्न बैंकों में निवेश किया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–'क'** में संलग्न है।

(ख) सावधि जमा में निवेष राशियों पर अर्जित ब्याज में ₹2.60 लाख की कम प्राप्ति करना

नगर परिषद द्वारा समय–समय पर सावधि जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न–विभिन्न बैंकों में राशियों का निवेश किया गया। वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में सावधि में निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में निवेश की राशियों की परिपक्व तिथि में जो परिपक्व राशि बनती थी, सम्बन्धित बैंकों द्वारा उससे कम राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकरण में बैंकों द्वारा एफ0डी0आर0 में निवेशित राशियों पर जितना ब्याज बनता था, उससे कम ब्याज दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को बैंकों से ब्याज में ₹260400 कम आय प्राप्त हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–'ख'** में संलग्न है। इस सन्दर्भ में ब्याज की कम प्राप्ति की वसूली बैंकों से करने बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 17.3.2016 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके उतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद ने अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया गया है, जैसे ही कम ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी उससे अंकेक्षण को

अवगत करवाया दिया जाएगा। अतः नगर परिषद रामपुर द्वारा इस ब्याज की प्राप्ति हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करके ब्याज के रूप में कम प्राप्त की गई ₹260400 की शीघ्र वसूली की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

(क) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–'ग–1 से ग–5'** पर संलग्न है।

(ख) पूर्ववर्ती अवधि के दौरान शेष अनुदानों के बारे में

दिनांक 31.3.2013 को अनुदान के रूप में ₹522785 बकाया थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–'ग–1'** तथा **'ग–3'** में दिया गया है। उपरोक्त **'ग–3'** के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित अनुदानों में से अधिकतर अनुदान का उपयोग कर लिया गया था, परन्तु शीर्ष आर0जी0यू0एफ0 में प्राप्त अनुदान की ₹73000 का अंकेक्षण अवधि तक भी व्यय नहीं किया गया और न ही इस राशि को सम्बन्धित विभाग को वापिस किया। अतः इस अनुदान को जिस उद्धेश्य हेतु प्राप्त किया गया था, उस उद्धेश्य में व्यय न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और इस अनुदान को या तो शीघ्र उसी उद्धेश्य के लिए व्यय किया जाए अन्यथा इसको सम्बन्धित विभाग को वापस लौटाया जाए।

(ग) निदेशक शहरी विकास शिमला द्वारा नगर परिषद रामपुर को पत्र संख्याः यू0डी0 (एच0)(सी0)(10)10/90–311–323, दिनांक 3.4.2014 द्वारा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत कई प्रयोजनाओं जैसे कि पानी आपूर्ति, सिवरेज तथा रोड़ स्ट्रीट नेटवर्कस के लिए ₹861.23 लाख जारी की गई थी। इस अनुदान की राशि में से ₹600 लाख का अधिशासी अभियन्ता आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर को स्कीम को शुरू करने के लिए भुगतान कर दिया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

जिसको भुगतान किया	वा0 सं0	दिनांक	राशि
अधिशासी अभियन्ता, आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर, जिला शिमला हि0प्र0	836	9.3.15	1,00,00,000
–यथोपरि–	1007	13.2.15	3,00,00,000
–यथोपरि–	1070	5.3.15	2,00,00,000
		कुल भुगतान	**6,00,00,000**

इन खातों के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उक्त सारी अनुदान की राशि को सावधि जमा योजमा के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों में एक महीने की अवधि से 24 महीने तक की अवधि

के लिए समय–समय पर निवेश किया गया तथा जो भुगतान एक मुश्त में सम्बन्धित विभाग को करना था, उसका भुगतान समय पर नहीं किया और इस अनुदान की राशि को सावधि योजना में रखकर उस पर ब्याज प्राप्त किया गया। इसके पश्चात भी नगर परिषद द्वारा इस अनुदान की राशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को एवं मुश्त में न करके निम्न विवरणानुसार किया गया तथा ₹264 लाख को दिनांक 31.3.2015 तक भी सावधि योजना में रखकर उस पर ब्याज औसत किया जा रहा था।

बैंक का नाम	**एफ0डी0आर0 नं0**	**निवेश करने की तिथि**	**निवेश की राशि**	**परिपक्व तिथि**	**ब्याज की दर**	**ब्याज की राशि**	**परिपक्व राशि**
पी0एन0बी0	903602860	4.8.14	10000000	4.8.15	9%	930833	10930833
पी0एन0बी0	43130102789	5.4.15	5000000	29.7.15	7%	115069	5115069
हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	324130100015	20.6.15	6206784	5.8.15	7%	52800	6259584
कैनरा बैंक		4.6.15	5175552	20.7.15	7%	42397	5217949
	योग		**26382336**			**1141099**	**27523435**

अतः रामपुर शहर के लिए पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा स्ट्रीट इत्यादि का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर तदानुसार शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) संलग्न **परिशिष्ट– 'ग–3 से 'ग–5'** के अनुसार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान की राशियों के उपयोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किए गए थे। अतः अवधि 2013–14 तथा 2014–15 में व्यय की गई अनुदानों की राशियां के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीघ्र जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) नगर परिषद रामपुर को शहर में कार पार्किंग के निर्माण के लिए वर्ष 2013–14 में ₹5867143 तथा वर्ष 2014–15 में ₹3900000 प्राप्त हुई थी, जिसमें से ₹4000000 का भुगतान कार पार्किंग के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता, रामपुर डिवीजन हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5.10.2013 को किया गया था परन्तु लगभग तीन साल बीत जाने पर भी शहर में कार पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू नही हुआ, जिसके फलस्वरूप शहरवासियों तथा अन्य शहर में आने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा से वन्चित रहना पड़ा और इससे नगर परिषद को जो आय प्राप्त होनी थी, उससे भी नगर परिषद को वन्चित रहना पड़ा। अतः कार पार्किंग का निर्माण शीघ्र करवाने के लिए मामला हि0प्र0 लोक निर्माण से उठाया जाए, ताकि इसका शीघ्र निर्माण हो सके तथा लोगों को शहर में पार्किंग की सुविधा प्राप्त हो

सके और नगर परिषद की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण गृहकर के रूप में ₹74.32 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद रामपुर के गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को गृहकर के रूप में ₹7432106 वसूली हेतु शेष थी, जबकि हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 में दिए प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या द्वारा इस अध्याय में उपबन्धित रीति से राशि की वसूली की जा सकती थी। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन नगरपालिका को देय फीस या अन्य राशि देय है, अथवा देय होने के पन्द्रह दिन के पश्चात भी अंसदत्त रहती है अथवा यदि कोई राशि संदेय हो गई है तो यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव या उस द्वारा इस निमित सम्पर्क रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है), ऐसी राशि को संदत्त के लिए की किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विहित प्रपत्र में लिखित नोटिस की तामील कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति उसे दिए गए मांग नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर देय राशि की संदत्त नहीं करता है या कार्यपालक अधिकारी या सचिव के समक्ष प्रद रूप में कारण नहीं बताता है कि ऐसी राशि जो संदत्त नहीं की गई, कार्यपालक अधिकारी या सचिव सम्बन्धित व्यक्ति की सम्पत्ति की विक्रय द्वारा सभी लागतों सहित ऐसी राशि को वसूल कर सकेगा तथा इस अधिनियम के अधीन उप धारा–(6) नगर पालिका को देय कोई राशि संग्रहण के किसी ढ़ंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी, जबकि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 में कुल मांग ₹102.72 लाख के विरूद्ध केवल मात्र ₹31.84 लाख और वर्ष 2014–15 में कूल मांग ₹116.27 के विरूद्ध केवल मात्र ₹41.41 लाख की वसूली की, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल मांग	वसूली/प्राप्ति	छूट	अन्तशेष
2013–14	5899836	4372352	10272188	3183785	29420	7058983
2014–15	7058983	4568041	11627024	4141290	53628	7432106

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली के लिए नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई है और न ही नगर परिषद रामपुर द्वारा अपने आय के स्त्रोत को बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए हैं। इस सन्दर्भ में नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1, दिनांक 17.3.2016 द्वारा गृहकर की वसूली के बारे लिखा था, जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को यह जानकारी दी कि गृहकर की वसूली के लिए करदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अतः नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया वसूली हेतु

नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 के तहत शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाए एवं गृहकर की अधिक से अधिक वसूली की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर की दर में नियमानुसार संशोधन/वृद्धि न करने पर गृहकर की ₹18.31 लाख की कम वसूली करना

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्याः यू0डी0(एच0)(सी0)(10)(7)/98–ii, दिनांक 17.11.2013 द्वारा सभी स्थानीय निकायों को सूचना भेजी गई थी कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर की दर में हर वर्ष प्रतिशतत्ता के आधार पर बढ़ौतरी करके वर्ष 2006–07 से 12.5% की दर से गृहकर अधोरोपित करके वसूली करनी अपेक्षित है, जबकि नगर परिषद रामपुर द्वारा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में 10% की दर से ही गृहकर अधिरोपित किया जा रहा है, जोकि वित्त आयोग की सिफारिशों की अवहेलना है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में गृहकर की ₹1831269 की कम वसूली की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	10% के हिसाब से कुल मांग	जितनी गृहकर मांग 12.5% के हिसाब से करनी थी	कम मांग
2013–14	3183785	3979731	795946
2014–15	4141290	5176613	1035323
		कुल कम मांग	**1831269**

इस सन्दर्भ में नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने जवाब में यह लिखा कि संशोधित दर नगर परिषद के सदस्यों की स्वीकृति के उपरान्त ही अधोरोपित की जा सकती है, जबकि उनके द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया गया। अतः यह मामला निदेशक शहरी विकास के ध्यानार्थ लाया जाता है, ताकि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए तथा गृहकर की संषोधित एवं बढ़ी हुई दरों से वसूली करके नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके और शहरवासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो सके।

8 नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये एवं लीज की बकाया ₹2325401 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख, जोकि **परिशिष्ट–घ** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक नगर परिषद की दुकानों के किराये तथा लीज की ₹2325401 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.2015 को बकाया राशि ₹ में
1	दुकानों का किराया	1237221
2	दुकानों की लीज	1088180
	कुल बकाया	**2325401**

ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये तथा लीज की वसूली नियमानुसार नहीं की जा रही, जबकि हि0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258(1)(ख)(2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगरपालिका के देय है तथा उक्त देयता के पन्द्रह दिनों बाद तक भुगतान हेतु शेष रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों के मांग हेतु चेतावनी जारी कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। इसके साथ–साथ निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच0(ए0)–1/1987–9237–9284, दिनांक 20.6. 2001 के अन्तर्गत भी गृहकर तथा अन्य करों की 100% वसूली करने के निर्देश दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था, जबकि नगर परिषद द्वारा बकाया किराये तथा पटटे की वसूली के लिए उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 4, दिनांक 19.3.2016 द्वारा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया गया था कि किराये तथा पटटे की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, जिस सन्दर्भ में उनके द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त बकाया किराये एवं लीज़ की वसूली हेतु ठोस कार्यवाई नियमानुसार की जाए और अधिक से अधिक राशि की वसूली की जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 किरायेदारों से सेवा शुल्क की वसूली न करके नगर परिषद द्वारा निधि से सेवा कर शुल्क की ₹21.16 लाख का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अपनी दुकानों को किराये तथा लीज के आधार पर आवंटित किया गया था तथा उन दुकानदारों से केवल किराये की ही वसूली की जा रही थी, जबकि Finance Act, 1994 की धारा 65(909) तथा धारा 65(105)(zzzz) of के अनुसार “Taxable service means any service provided or to be provided to any person, by any other person, by renting of immovable property or any other service in relation to such renting, for use in the course of or for fortherance of business or commece”। इस प्रकार सभी किरायेदारों से किराये के साथ सेवा कर की वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि नगर परिषद द्वारा किरायेदारों से सेवा कर की वसूली न करके Addtitional Commissioner, Central Excise and Service Taxe, Chandigrah को उनके द्वारा दिए सेवा कर जमा करने के नोटिस पर अवधि 10/2007 से 3/2015 तक का सेवा कर परिषद निधि से जमा किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

अवधि	प्राप्त किराया और लीज राशि	सेवा कर शुल्क की राशि	विवरण जितनी राशि जिन–जिन शीर्ष में जमा की		जिस स्त्रोत द्वारा जमा की
10/07 से 3/13	9796926	1210900	1175631	सेवा कर शीर्ष में	e-banking cc A/c No. 34736375733 Dt. 16.3.2015
			23513	एजुकेशन सेस	
			11756	Secondary & Higher Education Charges	
4/13 से 3/14	3961164	489600	475340	सेवा कर	e-banking cc A/c No. 34736375733 Dt. 16.3.2015
			9507	एजुकेशन सेस	
			4753	Secondary & Higher Education Charges	
4/14 से 3/15	3358909	415161	403069	सेवा कर	e-banking cc A/c No. 34736375733 Dt. 9.12.2015
			8061	एजुकेशन सेस	
			4031	Secondary & Higher Education Charges	

इस प्रकार नगर परिषद द्वारा जो सेवाकर की वसूली किरायेदारों एवं लीज होल्डरों से करनी थी, उसकी वसूली न करके यह राशि परिषद निधि से जमा करवाई गई। उपरोक्त सेवाकर की वसूली किरायेदारों तथा लीज होल्डरों से न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11, दिनांक 2.5.2016 द्वारा लिखा गया था, जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं सेवाकर विभाग द्वारा नगर परिषद रामपुर को वर्ष 2007 में सेवाकर शुल्क जमा करने का नोटिस जारी किया था, जिसके कारण ₹2115661 जमा की गई। यदि यह राशि समय पर जमा न होती, तो नगर परिषद को पैनल्टी व ब्याज सहित राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उक्त भुगतान किए सेवा शुल्क से लगभग ₹100000 की वसूली किरायेदारों हो चुकी है तथा अन्य किरायेदारों से राशि की वसूली हेतु उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अतः उक्त दिए उत्तर को मददेनजर रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि इस किए भुगतान की राशि की वसूली हेतु कारगर कार्रवाई अमल में लाई जाए और भविष्य में किरायेदारों से किराये के साथ सेवाकर शुल्क लगाकर बिल जारी करके वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 तहबाजारी फीस की बकाया ₹0.47 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिषद रामपुर द्वारा वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के नजदीक सड़क किनारे बैठने वाले लोगों को अपनी अजीविका चलाने के लिए तहबाजारी के अन्तर्गत ₹300 प्रति माह के हिसाब से चारपाई लगाने की जगह एक स्थल पर दी। इससे सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इन तहबाजारी वालों से तहबाजारी की वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2015 तक तहबाजारी शुल्क की ₹47400 वसूली योग्य शेष थी, जिसका विवरण **परिषिष्ट–'ड़'** पर संलग्न है। उक्त बकाया तहबाजारी की बकाया वसूली के बारे में नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5, दिनांक 23.3.2016 द्वारा स्पष्टीकरण देने बारे लिखा गया था, जिस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि तहबाजारी की बकाया वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। अतः तहबाजारी की बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई तथा वसूली से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 मोबाईल टावरों की स्थापना/नवीनीकरण प्रभारों की ₹0.89 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रामपुर शहर में चार मोबाईल कम्पनियों के 5 मोबाईल टावर स्थापित हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0एच0ए0(7)–1/2006–10396– 10444, दिनांक के अनुसार स्थानीय निकाये सीमा के अन्दर लगाए गए टावरों की कम्पनियों से ₹10000 स्थापना शुल्क तथा प्रति टावर ₹5000 की दर से नवीनीकरण शुल्क के रूप में स्थानीय निकाये द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रावधान है तथा इसके साथ जिन–जिन कम्पनियों के टावर पांच साल तक स्थापित रहते हैं उनसे हर पांच वर्ष के पश्चात 25% नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि करके शुल्क की राशि को वसूली किए जाने का प्रावधान है। अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से समय पर नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2015 तक नगर परिषद द्वारा मोबाईल कम्पनियों से ₹88750 की वसूली करनी शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है तथा जिसका विस्तृत विवरण **परिषिष्ट–'ड.'** पर भी दिया गया है।

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	टावरों की सं0	दिनांक 31.3.2015 तक फीस नवीनीकरण की बकाया वसूली
1	बी0एस0एन0एल0	2 नं0	65000
2	रिलाइन्स कम्पनी	1 नं0	17500
3	टाटा इण्डीकोम	1 नं0	6250
		कुल बकाया	**88750**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर को लिखा गया था, जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने उत्तर में लिखा कि टावरों की नवीनीकरण की वसूली समय पर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें अधिभार Surcharge का कोई भी प्रावधान नहीं है।

अतः नगर परिषद द्वारा नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹88750 की वसूली के लिए कम्पनियों पर शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जाए, ताकि बकाया नवीनीकरण की वसूली शीघ्र हो सके।

12 आय के अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत ₹2.66 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना/अभिलेख अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत ₹265732 की वसूली हेतु शेष थी।

क्र0 सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.2013 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	लवी मेले में दिए स्टॉलों का किराया	156864	**परिशिष्ट–'ड़–1'**
2	पालतू कुत्ताकर	3950	
3	साईन बोर्ड (विज्ञापन)	104918	
	कुल योग	**265732**	

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1994 में दिए प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5, दिनांक 23.3.2016 द्वारा उक्त शीर्ष में बकाया राशि की वसूली न होने के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इन बकाया राशियों की वसूली हेतु कारगर पग उठाए जाएं और राशियों की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13 लकड़ी (बालन) की ₹9200 की वसूली न करने बारे

नगर परिषद के लकड़ी (बालन) के स्टॉक रजिस्टर में की लकड़ी (बालन) जारी करने से सम्बन्धित की गई प्रविष्टियों की जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपण्डलाधिकारी अधिकारी रामपुर को 16 क्विंटल लकड़ी बिल द्वारा जारी की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

लकड़ी/बालन जितना जारी किया का ब्यौरा	बिल सं0	दिनांक	राशि
4 क्विंटल	242	26.12.14	2300
4 क्विंटल	243	3.2.15	2300
4 क्विंटल	244	23.2.15	2300
4 क्विंटल	245	23.2.15	2300
		कुल राशि	**9200**

इस सन्दर्भ में अभिलेखों/स्टॉक रजिस्टर में उक्त वर्णित बिलों की ₹9200 की वसूली से सम्बन्धित कोई भी विवरण स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ₹9200 की वसूली अभी तक करनी बकाया है। अतः यदि नगर परिषद द्वारा इस राशि की वसूली कर ली गई थी, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत की जाएं और इसकी पुष्टि रोकड़ वही से करवाई जाए और यदि इस

राशि की वसूली करनी बकाया है तो इसकी वसूली न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और इसकी वसूली शीघ्र कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 रैन बसेरा के किराये की वसूली से सम्बन्धित अनियमितता

(क) रैन बसेरा के हाल के किराये की बकाया ₹0.69 की वसूली न करना

नगर परिषद द्वारा नीलामी द्वारा उच्चतम बोली के आधार पर श्री आशीष कष्यप, सुपुत्र श्री रमेष कुमार को दिनांक 1.9.2013 से रैन बसेरा का हाल ₹13500 प्रति माह की दर से किराये पर दिया गया। इस सन्दर्भ में अभिलेखों की जांच करने पर तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12, दिनांक 6.5.2016 द्वारा मांगी गई सूचना के आधार पर नगर परिषद के पत्र संख्याः 2728, दिनांक 11.5.2016 द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त किरायेदार से अवधि 1.9.2013 से 31.3.2015 तक निर्धारित किराये की ₹256500 में से ₹188000 की वसूली की गई है और इस प्रकार किराये के रूप में ₹68500 की वसूली की जानी बकाया थी, जबकि इकरारनामा की शर्त–3 में स्पष्ट है कि किरायेदार हर माह किराया नगर परिषद में अग्रिम रूप से जमा करवाएगा। इस प्रकार किरायेदार द्वारा इकरारनामा की शर्त की अवहेलना की गई और दिनांक 31.3.2015 तक किराये की बकाया ₹68500 की वसूली करनी शेष थी, जिसकी वसूली करने हेतु नगर परिषद कार्रवाई अमल में लाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा श्री आशीष कश्यप सुपुत्र श्री रमेश कुमार से प्रतिमाह ₹1000 बिजली/पानी की वसूली करने का प्रावधान किया था और दिनांक 1.2.2014 से किरायेदार द्वारा अपना मीटर लगवाने का प्रस्ताव दिनांक 26.10.2013 को पारित किया था, जबकि श्री आशीष कश्यप द्वारा न तो अभी तक अपना बिजली/पानी का कनैक्षन लिया गया और न ही हर माह ₹1000 प्रति माह की दर से बिजली तथा पानी के चार्जिज को नगर परिषद में जमा कर रहा है। अभिलेखों के अनुसार किरायेदार द्वारा अवधि 1.9.2013 से 31.3.2015 तक केवल पानी/बिजली के चार्जिज के रूप में ₹6000 ही जमा की गई थी तथा शेष ₹13000 की वसूली की जानी बकाया थी, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और इस बकाया राशि की वसूली शीघ्र करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) नगर परिषद के अवधि 4/13 से 3/15 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12, दिनांक 6.5.2016 द्वारा रैन बसेरा तथा नगर परिषद कार्यालय भवन की ऊपरी मंजिल के हाल और रैन बसेरा के कमरों से प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समापन तक उक्त साधनों से प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में

प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान इन अभिलेखों को दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 नवनिर्मित भवनों के लिए पानी एवं बिजली के कनैक्शन के लिए जारी अनापति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे

नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 210 में स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति भवन के पूर्णतः या अंशतः निर्माण की पूर्णता के पश्चात एक मास के भीतर कार्यकारी अधिकारी को इस बारे बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र के साथ ऐसी पूर्णता या पूर्णता के भाग के बारे में लिखित नोटिस द्वारा सूचना प्रदत्त करेगा या भेजेगा या प्रदत्त करवाएगा या भिजवाएगा और ऐसे भवन या उसके किसी भाग के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक औपचारिक्ताऐं कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। उक्त के साथ–साथ कार्यकारी अधिकारी द्वारा नवनिर्मित भवन को पानी एवं बिजली के कनैक्शन के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवा लेनी चाहिए, जैसे कि भवन के निर्माण के अनुमोदित नक्षे की प्रति, नवीनतम जमा बन्दी, पटवारी की रिपोर्ट तथा स्थानीय निकाये के तकनीकी स्टॉफ से भवन की पूर्ण रिपोर्ट इत्यादि। नगर परिषद के Ledger में House Plan Approval. Fee A/c के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में ₹408607 तथा वर्ष 2014–15 में ₹138654 की प्राप्ति हुई। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14, दिनांक 17.5.2016 द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा कि चयनित माह 11/13 तथा 11/14 में कितने भवनों के नकशे पारित किए और इससे कितनी आय प्राप्त हुई तथा कितने भवनों को पानी एवं बिजली के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किए तथा कितनी आय प्राप्त हुई, परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। अतः अंकेक्षण में अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इससे सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 बिजली शुल्क के रूप में ₹0.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः एल0एस0जी0–डी0(1)–9/1994, दिनांक 24.6.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में उपयोग की जानी वाली बिजली की एक पैसा प्रति यूनिट की दर से नगर परिषद को बिजली शुल्क की प्राप्ति होनी चाहिए थी। इस सन्दर्भ में प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत विभाग से वर्ष 2014 में ₹62788 तथा वर्ष 2015 में ₹54019 की मांग "Assess" की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Month	Units	Assesed	Month	Units	Assesed
4/13	466000	4660	4/14	344600	3446
5/13	694500	6945	5/14	392600	3926
6/13	360600	3606	6/14	487200	4872
7/13	477560	4775	7/14	454700	4547

8/13	353600	3536	8/14	461700	4647
9/13	607600	6076	9/14	396800	3967
10/13	455900	4559	10/14	424800	4248
11/13	411800	4118	11/14	226900	2269
12/13	611000	6110	12/14	439200	4392
1/14	715600	7153	1/15	625500	6255
2/14	548200	5482	2/15	690700	6907
3/14	576500	5765	3/15	557200	5572

अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि अवधि 31.3.2015 तक ₹38228 प्राप्त की जानी शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	दिनांक 31.3.13 को जो बकाया में थे	वर्ष के दौरान जो प्राप्त होने थे	कुल	वर्ष के दौरान जितनी राशि प्राप्त की	बकाया
2013—14	59360	62788	122148	97635	24513
2014—15	24513	54019	78532	40304	38228

अतः नगर परिषद द्वारा अपने अभिलेखों का मिलान विद्युत विभाग के अभिलेखों से करके बकाया ₹38228 की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

17 लवी मेले के दौरान किराये पर ली टैक्सी के किराये की ₹0.22 लाख को सत्यापित (Verified) किए बिना ही भुगतान करने बारे

नगर परिषद द्वारा कोटेशनें आमन्त्रित करके लवी मेले के दौरान दिनांक 8.11.2014 से 19.11. 2014 तक मेले के प्रबन्ध/देख—रेख के लिए न्यूनतम दर वाली फर्म प्रेम टूयर एवं ट्रेवलस रामपुर बुशैहर जिला शिमला से ₹1850 प्रति दिन की दर से टैक्सी किराये पर ली गई और जिसका भुगतान फर्म को वाउचर संख्याः 759, दिनांक 4.12.2014 को ₹22200 का किया गया। इससे सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त जिला मण्डलाधिकारी (A.D.M) की अध्यक्षता में अन्तरराष्ट्रीय लवी मेला—2014 (International lavi Mela-2014) की बैठक में जो (निर्णय) लिए गए, उसमें कही भी यह निर्णय नहीं लिया गया कि अन्तरराष्ट्रीय लवी मेला—2014 के दौरान नगर परिषद रामपुर द्वारा टैक्सी को किराये पर लेकर उसका भुगतान नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। अतः बिना कमेटी के निर्णय और बिना किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के टैक्सी को प्रतिदिन के आधार पर किराये पर लेना अनियमित था, जिसके फलस्वरूप टैक्सी के उपयोग के लिए भुगतान को नियमित नहीं माना जा सकता, जिसकी भरपाई उचित स्त्रोतों से की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त के अतिरिक्त बिल का भुगतान नगर परिषद द्वारा फर्म द्वारा दिए बिल के आधार पर किया गया, परन्तु वाहन का उपयोग किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस—किस दिन किया गया तथा वाहन का कितने

किलोमीटर के लिए उपयोग किया गया इससे सम्बन्धित भी कोई विवरण अभिलेख के साथ संलग्न नहीं था, जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

18 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन से अन्तरराष्ट्रीय लवी मेला–2013 में स्थानीय कलाकारों को ₹2.70 लाख के भुगतान करने बारे

माह 11/2013 के व्यय के वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि अन्तरराष्ट्रीय लवी मेला–2013 में स्थानीय कलाकारों द्वारा दिए कार्यक्रम के एवज में नगर परिषद द्वारा ₹2,70,000 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वा0 सं0	दिनांक	राशि
706	13.11.2013	235000
715	18.11.2013	25000
725	20.11.2013	10000
	कुल योग	**270000**

यह भुगतान लवी मेला कमेटी के सक्षम अधिकारियों की बनाई कमेटी की स्वीकृति/अनुमोदन करवाए बिना किया गया। इस प्रकार बिना पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति के स्थानीय कलाकारों को भुगतान करना अनियमित है। अतः ₹270000 के भुगतान बारे कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में भी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 मोमैन्टो की खरीद पर ₹0.88 लाख का अनियमित व्यय करना

नगर परिषद द्वारा बैठक में लिए निर्णय के अनुसार लवी मेले के समाप्त होने के पश्चात नगर परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों, प्रधान व उपप्रधान सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मोमैन्टो देने का अनुमोदन पारित किया गया तथा तदानुसार वर्ष 2014 में कोटेशनों के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्ज शम्भू राम दीप चन्द, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला से 49 नंबर मोमैन्टो (Momento) ₹1800 प्रति मोमैन्टो की दर से खरीद करके उनको वाउचर संख्याः 757, दिनांक 4.12.14 द्वारा ₹88200 का भुगतान किया गया। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रकार का व्यय नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यद्यपि नगर परिषद द्वारा इस राशि का व्यय लवी मेला के दौरान प्राप्त होने वाली आय से किया गया, फिर भी इस प्रकार के व्यय की स्वीकृति लवी मेला कमेटी के अध्यक्ष से ली जानी अपेक्षित थी, जोकि प्राप्त नहीं की गई, जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त इन मोमैन्टो की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में किए बिना ही इनका वितरण नगर परिषद के प्रधान, उपप्रधान, सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को किया गया, जोकि अनियमित था, क्योंकि बिना स्टॉक प्रविष्टि के

सामग्री (Momentos) का वितरण नियमानुसार सही नहीं है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि किए बिना ही भुगतान करना

वाउचर संख्याः 773, माह 12/14, ₹7661

नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित Multifunctional Hall में लगाने के लिए Curtain Pipe, Wooden Fingal Sandal, Curtain Pipe की न्यूनतम दर के आधार खरीद के एवज में पर M/S Parshant Traders, Rampur Bushaher, Distt Shimla को ₹7661 का भुगतान किया गया। इस सामग्री की खरीद व इसको स्थल पर लगाने सम्बन्धी अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस सामग्री की बिना स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही बिल पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिए प्रमाण पत्र के आधार पर ही बिल का भुगतान कर दिया, जोकि अनियमित था। अतः सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि किए बिना और स्टॉक से सामग्री को जारी किए बिना ही बिल का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इस सामगी की स्टॉक प्रविष्टि में सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करके तथा जिस स्थल के लिए सामग्री लगाई गई, उस स्थल के लिए इनको जारी करने सम्बन्धी प्रविष्टि करके, अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों पर अंकुश लगाया जाए।

21	**निर्माण कार्य का नामः–**	**C/O Water Foundation in Cremation ground in ward No.-4 Rampur**
	संविदाकार का नाम :–	**Sh. Govind Ram Vashist**
	आवंटन पत्र :–	**1309 Dt. 8.7.2013**
	माप पुस्तिका संख्याः–	**3 पृष्ठ 13 से 15**

उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹79341 का भुगतान वाउचर संख्याः 745, दिनांक 26.11.2013 द्वारा किया गया था। इस निर्माण कार्य के बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 3, पृष्ठ 13 से 15 पर की गई, जिसकी प्रविष्टियों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

(क) गलत गणना करने के फलस्वरूप ₹4316 का अधिक भुगतान करना

निर्माण कार्य में 20mm thick cement plaster in single coat on rough side of Brick/Store mesonary in c:m 1:5 की मैपाईश (measurment) माप पुस्तिका में निम्न प्रकार से की गई।

(2th)	1x1x2x3.14x3.80x0.10	18.08m^2
	1x1x2x3.14x4.00x0.15	22.60m^2
	कुल	**40.68m^2**

जबकि इसकी गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

1x1x2x3.14x3.80x0.10	2.38m^2
1x1x2x3.14x4.00x0.15	3.77m^2
कुल	**6.15m^2**

इस प्रकार संविदाकार को इस मद में ($40.68m^2$–$6.15m^2$=$34.53m^2$) की अधिक मात्रा का ₹4316 ($34.53m^2$x125) अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अधिक भुगतान की गई ₹4316 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए नगर परिषद द्वारा 76 बैग सीमेंट Indent संख्याः 1380, 1381, दिनांक 20.5.2013 द्वारा जारी किए गए, जिसकी वसूली भी इस बिल की राशि से कर ली गई। इस कार्य में उपयोग किए सीमेंट का ब्यौरा न तो माप पुस्तिका में दिया और न ही बिल के साथ Consumption Statement लगाई गई थी और जितने Cement Bag इस कार्य हेतु जारी किए गए थे, उनकी वास्तविक खपत की बहुत कम थी, जिसके फलस्वरूप इस निर्माण कार्य को नियमानुसार दिए गए Standard से कम Standard पर करवाया गया प्रतीत होता है, क्योंकि इस निर्माण कार्य में जितना सीमेंट प्रयोग किया जाना था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मद का ब्यौरा	Qty.	Factor	Cement Used
C.C 1:6:12 and cessing comeplete excluding the cost of form work in foundation & plinth	8.11	2.20	17.84
C.C 1:2:4	3.21	6.40	20.54
20mm Cement plaster in single coat on rough side of brick/Stone masonery in C:M 1:5	40.68	1.39	56.54
P/L C:C. 1:1½:3	2.40	9.60	23.13
P/L Upto floor two lavel C:C. 1:2:4 white glassed tiles	1.70	6.40	10.88
6mm thick in skirting hsco and dado 12mm thick in Cement Mortor 1:3	40.68	0.21	8.54
	Total Consumptioon		**137.47**

इस प्रकार नियमानुसार इस कार्य हेतु 138 सीमेंट बैंक उपयोग किए जाने चाहिए थे, जबकि इन कार्य हेतु कार्य में केवल 75 बैग ही उपयोग किए जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके साथ नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यह भी बताया जाए कि इस स्थल को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया तथा जिस स्थान पर यह बनाया गया था, वह स्थल भी (Sink) हो गया है। अतः इस निर्माण कार्य पर ₹116306 का व्यय उचित प्रभार न होकर अपव्यय ही प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

22	**Name of Work :-**	P/L heavy duty precast cement interlocking power block in Main Bazar Rampur Town R.D. 0/0 to 0/170 Rmt
	Name of Contractor :-	Sh: Ram Bhawan Govt. Contractor
	Award Letter No. :-	1390 Dt. 21.8.2014
	M.B No. :-	6 Page No. 59 to 63
	Bill No. :-	1st Final Bill (as per Voucher)

नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य का वाउचर संख्याः 832, दिनांक 23.12.2014 के अन्तर्गत ₹762340 का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 6 के पृष्ठ 59 से 63 में की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए 60 बैग सीमेंट इन्डैंट संख्याः 16/1558, दिनांक 30.6.2014 द्वारा जारी किए गए थे, जबकि इस कार्य की जो मैपाईश माप पुस्तिका संख्याः 6 पृष्ठ 59 to 63 में ली गई, उसके अनुसार इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित सीमेंट उपयोग किया जाना था।

क्र0 सं0	मद का ब्यौरा	गणना	Cousumption Factor	कुल खपत
1	P/L C:C 1:6:12 1 Cement: 6 Sand and 12 graded Stone aggregate 40mm nominal size	41.74 cum.	2.20 bags	91.83 bags
2	Providing & lying heavy duty precast power block compacted up to M-50 grade 1/C border of kurb block greyor coloused over sub base of can with 25 mm thick 1:4 lrid over jointed with heat cement seumy with pigment to match shade of block i:c casing nothing i:e polishing complete 60mm thick inter locking block	557.64 Sq Mtr.	0.262 bags	146.24 bags
			Total	**238** bags

इस प्रकार नगर परिषद स्टोर से संविदाकार को इस निर्माण कार्य के लिए केवल 60bag सीमेंट ही जारी किए जबकि इस निर्माण कार्य पर सीमेंट की खपत उक्त विवरणानुसार 238 बैग की बनती है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भी इस निर्माण कार्य पर 90 बैग सीमेंट की खपत M.B संख्याः 6 पृष्ठ 63 पर दर्शाई गई है, जबकि नगर परिषद स्टोर से केवल 60 बैग सीमेंट ही जारी किए। अतः यदि कनिष्ठ अभियन्ता की खपत भी सही है तो बकाया 30 बैग सीमेंट संविदाकार द्वारा इस निर्माण कार्य में कहां से लगाए, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि 30 बैग सीमेंट के उपयोग का कोई भी प्रमाण बिल के साथ संलग्न नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण मानक दर के आधार पर यह निर्माण कार्य Sub Standard किया गया, जिसकी विभाग अपने स्तर पर छानबीन करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाएं और भविष्य में निर्माण कार्य मानक दर पर करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

23	**निर्माण कार्य का नाम :–**	C/o Path/road from NH-22 to H/O Smt. Satya Bushari in ward No. 7 Khopri, Rampur
	संविदाकार का नाम :–	Sh. Shesh Ram Sharma
	आवंटन पत्र संख्या :–	1389 दिनांक 21.8.2014
	बिल संख्या :–	IInd & Final Bill

(क) नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण के लिए वाउचर संख्याः 809, दिनांक 20.12.2014 द्वारा ₹311164 का भुगतान किया गया। इससे सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 6 के पृष्ठ 43 से 46 तथा पृष्ठ 16 से 19 में की गई प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कार्य मद 'Providing & Lying cement concrete 1:5:10 with 15% plum and casing complete excluding the cost of form waskin retaining walls, the size of plums shall manually be 150mm to 300mm as per HPPWD Specification' का भुगतान किए Weep hole मद की Quantity की कटौती किए बिना ही किया गया है, जिससे फलस्वरूप ठेकेदार को ₹3519 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

M.B पृष्ठ	**Quantity जिस पर भुगतान किया**	**दर**	**राशि**
पृष्ठ–43, 18	207.60 (123.23+84.37) Cem.	2750	570899

इस मद का जिस प्रकार भुगतान किया जाना था।

Total Quantity 207.60
Less:- P/L PVC (D.P loat) pipe 100 mm@of making presence not less than 4.5 kg/sq mtr. In weep holes of R/Wall & B/Wall
M.B Page No. 43 i.e 26 No.
M.B Page No. 18 i.e 15 No.
Total = 41No.x3.14x(0.10)²x1=1.28

Net Qty.	206.32	2750	567380
		अधिक भुगतान	**3519**

अतः इस किए गए अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और ₹3519 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद की निधि में जमा की जाए और अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्य में सीमेंट की खपत बिना Consumption Statement बनाए 470 bags की दर्शाई गई थी जिसमें से 190 बैग Indent संख्याः 1545/16 दिनांक 25.8.2014 तथा 120 बैग सीमेन्ट indent संख्याः 1557/16, दिनांक 30.10.2014 को जारी किए गए और बाकी 160 सीमेंट बैग संविदाकार द्वारा अपने आप बाजार से खरीद करके इस निर्माण कार्य पर लगाए, जिसके बिल वाउचर के साथ संलग्न है। इन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा जिन बिलों के अन्तर्गत सीमेंट का क्रय किया गया है, उनमें सीमेंट की आपूर्ति की तिथि बिलों पर अंकित नहीं थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मात्र निर्माण कार्य में सीमेंट की खपत को नियमानुसार सही दर्शाने के लिए ही सीमेंट के बिलों को वाऊचरों के साथ संलग्न किया गया था, क्योंकि नगर परिषद के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 30.10.2014 से इस निर्माण कार्य की समाप्ति तक 355 सीमेंट स्टोर में थे। अतः नगर परिषद द्वारा संविदाकार को नगर परिषद स्टोर से सीमेंट जारी न करने बारे और

संविदाकार द्वारा अपने स्तर पर बाजार से सीमेंट का क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24	**निर्माण का नाम :-**	C/o Temp. Stall/shops for exehibition for Govt. Deptt. During Lavi fair-2014 at levi mela ground, Rampur
	Contractor Name :-	Sh: Sohan Lal
	Award Letter No. :-	1749 Dt. 11.11.2014
	M.B No. :-	6 Page No. 55 to 57
	Bill No. :-	1st & Final Bill

उक्त निर्माण कार्य का भुगतान वाउचर संख्याः 815, दिनांक 20.12.2014 के अर्न्तगत ₹85252 का किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 6 के पृष्ठ 55 से 57 पर की प्रविष्टियों की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं।

(क) मद Excavation in earth and disposal of all excavated for all lead & lift shall towards julah side में 115 नंबर स्टॉलों के लिए खुदाई की गई, जिसकी कुल गणना 3.82 cum दर्शाई गई और जबकि मद “Fixing of CGI sheets roofing fixed with galvanized iron joulhook bolts & nut with bituman & G.I timpet washer filled with white Read (1) 0.63mm thick sheets.” का कार्य 135 No. स्टॉलों के लिए किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Excavation in earth work and disposal of excavated earth for all lead & lift disposed earth to be leveled & nearting dressed P&J work 50% each.

1st Row	1x11x0.30x0.30x0.30=	0.297Cem.
2nd Row	1x11x0.30x0.30x0.38=	0.376Cem.
3rd Row	1x11x0.30x0.30x0.45=	0.445Cem.
1st Row Kinnour Market	1x10x0.30x0.30x0.30=	0.297Cem.
2nd Row	1x10x0.30x0.30x0.38=	0.376Cem.
3rd Row	1x10x0.30x0.30x0.45=	0.445Cem.
Towards Maingate Side:-		
1st Row	1x14x0.30x0.30x0.30=	0.378Cem.
2nd Row	1x14x0.30x0.30x0.38=	0.478Cem.
1st Row Shool Stall Side:-		
1st Row	1x12x0.30x0.30x0.30=	0.32Cem.
2nd Row	1x12x0.30x0.30x0.38=	0.41 Cem.
Total Nias Stall	115	3.82Cem.
जबकि During of C.G.I Sheets roofing over Stall Shops		
	30x1x6.00=	180 Sq mtr.
	27x1x6.00=	162 Sq mtr.
	39x1x3.00=	117 Sq mtr.
	39x1x3.00=	117 Sq mtr.
Total Stall	**135**	**576 Sq mtr.**

अतः माप पुस्तिका में की मदों की प्रविष्टि के अनुसार जब 115 नंबर स्टॉलों के मेला ग्राउंड में स्थल को ठीक किया गया तो 135 स्टॉलों पर C.G.I. Sheets कैसे लगाई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसके साथ–साथ इतनी ही स्टॉलों की C.G.I. Sheets को ही मेला समाप्त होने पर निकाला गया, जिस बारे की स्थिति स्पष्ट की जाए और इस बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा जो 20 स्टॉलों पर अनाधिकृत ढंग से C.G.I. Sheets लगाई गई और निकाली गई और जिसकी Quantity (576Sq mtr.-490.67=85.33Sq mtr.) अधिक ली गई है उनकी वसूली निम्न प्रकार से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए।

Fixing of C.G.I. Sheets roofing over stalls 85.33Sq mtr.x40	3413.00
Dismentling roofing i/c valley etc. 85.33Sq mtr.x35	2986.55
Total	**6399.55**

25	**निर्माण कार्य का नाम :–**	C/o RCC bridge/culvet & Path toward land less colony in ward no. 1 Rampur
	संविदाकार का नाम :–	Sh. Mahinder Kumar Shalli
	अवार्ड पत्र सं0 :–	1559 दिनांक 25.9.2014
	माप पुस्तिका सं0 :–	6 पृष्ठ 36 से 39
	वाउचर सं0 / माह :–	763(सी) ₹83422

(क) निर्माण कार्य में गलत गणना करने के फलस्वरूप ₹5754 का अधिक भुगतान करना

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 6 के पृष्ठ संख्या 36 से 39 में की गई मदों की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि मद संख्याः 5 "Providing and lying cement concrete work 1:2:4 (1 cement, 2 sand, 4 graded stone) and curing complete encluding cost of form work in".

(a) Col. Foundation footing, tropizedial Portion

(b) Col. footing pesdestrial, upto bridge, (c) Hor. Beams,

(d) Suspended floor (bridge) (e) Strais case के मद की गणना की प्रविष्टि ली है, उसमें Col. Foundation of footing & Tropizedial partion, की गणना गलत ली गई प्रतीत होती है, जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹5754 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका में ली गई गणना

Col. (1) Foundation of footing	2x1x1.20x1.20x0.20	= 0.28cum
tropizedial Portion	$\frac{0.45}{6}[1.60^2+0.45^2+\frac{4(1.60+0.45^2)}{2}]$	= 2.20cum
	कुल गणना	**= 2.48cum**

जितनी गणना बनती है

Col. (1) Foundation of roofing	2x1x1.20x1.20x0.20	= 0.28cum
tropizedial Partion	$\frac{0.45}{6}$ [$1.60^2+0.45^2+4(\frac{1.60+0.45}{2})^2$]	= 0.83cum
	कुल गणना	**= 1.11cum**
जितनी अधिक गणना ली	2.48cum.-1.11cum.	= 1.37cum
अधिक भुगतान	1.37cum.x4200	= 5754

अतः संविदाकार को इस कार्य में किए गए अधिक भुगतान की ₹5754 की वसूली नियमानुसार करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में अतिरिक्त मद का निष्पादन किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका सं0/ पृष्ठ	मद का ब्यौरा	मद की गणना	दर	राशि
6/पृष्ठ 38 व 39	R.R Masonery with hard stone of approved quantity in foundation & plinth toe wall.	4.68cm.	2666	12477

इस अतिरिक्त मद का निष्पादन करने से पूर्व इसकी स्वीकृति CPWD की धारा 25(5) के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर की जानी थी, जबकि इसकी स्वीकृति लिए बिना ही इस मद का निष्पादन निर्माण स्थल पर करवाया गया, जोकि अनियमित था। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए इस मद का निष्पादन निर्माण स्थल पर करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इसकी स्वीकृति पूर्ण तथ्यों सहित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

26 नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 3 में रैन बसेरा तथा शनि मंदिर में रैलिंग लगाने का कार्य को नियमानुसार टैंडर प्रक्रिया न अपना कर केवल मात्र निविदाएं आमन्त्रित करके ही करवाने बारे

नगर परिषद ने वार्ड नंबर 3 में श्री शनि मंदिर गांधी पार्क तथा साथ में बनाए रैन बसेरा में रैलिंग आदि लगवाने का कार्य करवाया गया। नगर परिषद द्वारा इस कार्य हेतु सामग्री की खरीद निविदाएं आमन्त्रित करके न्यूनतम दर को आपूर्ति आदेष देकर करवाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका संख्याः 5, पृष्ठ 99 व 100 पर निष्पादित मद की “Steel work welded in build up section के (a) angle post 25x25x5mm” के आधार पर प्रक्रिया जो प्रविष्टि गई उसमें गणना गलत की गई, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका संख्याः 5 पृष्ठ 99 व 100 में ली गणना

2x1x1.45Rmt.	=2.90Rmt.
2x1x1.22Rmt.	=2.44Rmt.
2x1x1.38Rmt.	=2.76Rmt.

2x1x2.28Rmt.	=4.56Rmt.
2x1x3.26Rmt.	=6.52Rmt.
2x1x3.26Rmt.	=6.52Rmt.
2x1x1.45Rmt.	=2.90Rmt.
2x1x1.22Rmt.	=2.44Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=3.60Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=5.40Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=5.40Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
Total	**54.44Rmt.**

नियमानुसार जितनी गणना बनती है

2x1x1.45Rmt.	=2.90Rmt.
2x1x1.22Rmt.	=2.44Rmt.
2x1x1.38Rmt.	=2.76Rmt.
2x1x2.28Rmt.	=4.56Rmt.
2x1x3.26Rmt.	=6.52Rmt.
2x1x3.26Rmt.	=6.52Rmt.
2x1x1.45Rmt.	=2.90Rmt.
2x1x1.22Rmt.	=2.44Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
2x1x0.90Rmt.	=1.80Rmt.
Total	**45.44Rmt.**

Excess Measurment 54.44Rmt.-45.44Rmt.. =9.00Rmt.x10760=15.84Kg,

Rate =94

Total =₹1489

M/S Gee Ers Industries

Bill No	**M.B. No. & Page**	**Item**
1184 Dt. 5.11.14	5 Page 100.	Steel Work welded in built trip section के (a) Angle post 25x25x5mm में गलत गणना करने पर जितनी M.B. में ली 54.44Rmt. जितनी बनती है 45. 44Rmt. अधिक गणना 9.00Rmt. है, जितने अधिक किलो का भुगतान किया= 9Rmt.x1.760Kg x दर 94%= 1488.96Says ₹1489

माप पुस्तिका संख्याः 5, पृष्ठ 100 में लिए गए कुल लोहे का भार जिसका जितना भुगतान किया =1252.314Kg x दर 94 = 117718

कुल लोहे का भार जितना बनता है और जितना भुगतान बनता है1236.474Kg x दर 94 = 116229

अधिक भुगतान =1489

लिए गए स्टील का विवरण जिसकी स्टॉक में प्रविष्टि किए बिना ही स्थल/निर्माण स्थल में लगाना

वा0 सं0/ दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	M.B. No./ Page.	राशि	विप्पणी
819/ 22.12.14	Supply order P/F M/S steel railing in front of Shani Mandir near/opp. Gandhi Park in ward No.-3 Rampur	M/S Gee. Ess. Industries Bill No.-1184, Dt 5.11.14 Order No. 1665 Dt. 20/2014	5 Page No. 100 to 101	104434	इस बिल के द्वारा M/S Gee. Ess. Industries ने 1111kg, 94 की दर से M/S Railing की Supply और Fixing की
-do-	P/F M/S Gate for steel stair roof & railing in front side of community hall, water storage stand, drain cover (CH Plate) etc. in ward No.-3 Rampur Supply order No.-1677A Dt. 24.10.14	M/S Gee. Ess. Industries Bill No.-1189, Dt 17.11.14	6 Page No. 46 to 47	53976	इस बिल के द्वारा M/S Gee. Ess. Industries Rampur ने 556.34kg, steel 94 Per kg की दर से तथा 4No. ornamental steps. 2No. ornamental door bolt. दर ₹345 तथा ₹150 प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति और Fixing की
-do-	Supply order providing & fixing M/S Steel Store Case, Railing in front of community Hall & on the roof of Community Hall in Ward No.-3 Rampur Supply order No. 1666, Dt. 20.10.14	M/S Gee. Ess. Industries Bill No.-1183, Dt 30.10.14	M.B No.-5 Page No. 99 to 100	117718	इस बिल के द्वारा फर्म ने 1252.314 kg, ₹94 प्रति कि0ग्रा0 की दर से आपूर्ति की
-do-	Supply order providing & fixing M/S Steel Store Case from Community Hall & Railing front side of Community Hall etc. in Ward No.-3 Rampur Supply order No. 1664, Dt. 20.10.14	M/S Gee. Ess. Industries Bill No.-1182, Dt 25.10.14	M.B No.-5 Page No. 98 to 99	63351	इस बिल के द्वारा फर्म ने 498.950kg, ₹94 प्रति कि0ग्रा0 की दर से M/S Steel 34नं0 पीस ornamental steps. जेकि ₹345 प्रति पीस की दर से और 4No. Arnamental

				steps. Pols. ₹1180 प्रति पीस की दर से आपूर्ति की
Supply order Providing & Suppling M/S Wire wash with angle iron from for protection from reauler side on tersies of Rehan Basera Building Ward No.-3 Rampur. Supply Order No. MCR(so)/2014-846, Dt. 23.7.14	M/S Gee. Ess. Industries Bill No.-1192, Dt 28.11.14	M.B No.-6 Page No. 53 to 54	50784	इस बिल में M/S White Mash on the roof of Rehan Basera Rampur in Ward No.-3 में 552kg, 92 प्रति कि0ग्रा0 की दर से आपूर्ति की

इन कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि इस कार्य को Works Rules के आधार पर टैण्डर प्रक्रिया न अपना कर, HPSR में दिए Procurement of goods के आधार पर किया गया, जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। इन कार्यों हेतु जितनी भी आपूर्ति प्राप्त की गई वह सीधे तौर पर कार्य स्थल पर लगाई गई थी। इसकी प्राप्ति की प्रविष्टि न तो स्टोर में की गई और न ही आपूर्तिकर्ता को इन बिलों का भुगतान माप पुस्तिका में प्रविष्टि करके किया गया, अपितु यह भुगतान सीधे तौर पर किया गया, जोकि अनियमित था। अतः नगर परिषद द्वारा नियमानुसार Works Rules के अन्तर्गत कार्य न करवाने बारे अपनी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस निर्माण कार्य में जितनी भी स्टील लगाई गई है उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न कर सीधे कार्य स्थल पर लगवाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टियां सम्बन्धित अभिलेख में की जाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य में लगाई गई स्टील का जो भुगतान किया गया, उसमें ₹1489 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा मैसर्ज जी0एस0 इण्डस्ट्रीज रामपुर को बिल संख्याः 1184, दिनांक 5.11.2014 के तहत जो भुगतान किया गया, उसमें ₹1489 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

27 कार्य का आवंटन करके एक ही निर्माण कार्य को तीन अलग–अलग अनुमान पत्र बनाकर अनियमित ढंग से करवाने बारे

नगर परिषद रामपुर द्वारा शमशानघाट वार्ड नं0ः 4 में Water Fountain Tank के निर्माण करने के कार्य के निम्न तीन अनुमान पत्र अलग–अलग तैयार किए गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Name of work	Amt.
1	C/o Water Fountain Tank in cremation Ground in Ward No.-4 Rampur Bhusher, Distt. Shimla (H.P) SH:- P/L Marble & Tile Work	133000
2	-do- SH:- Prop. Construction Water Fountain Tank Complete in	103000

all respect.

3 -do- SH:- Prop. Construction Water Fountain Tank Complete in all respect. 124000

नियमानुसार इस निर्माण कार्य का एक ही अनुमान पत्र तैयार करके करवाया जाना था और उसकी तकनीकी स्वीकृति भी नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी थी, जबकि नगर परिषद द्वारा ऐसा न करके इस निर्माण कार्य के तीन अनुमान पत्र बनाकर इसकी तकनीकी स्वीकृति केवल मात्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ही देकर इसके टैंडर अलग–अलग प्रकार से लगाकर इन तीनों कार्यों का आवंटन एक ही संविदाकार को किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित औपचारिकताओं से बचने के लिए तथा इस निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति उच्च अधिकारियों से न प्राप्त करने के उद्धेश्य से इस कार्य की छोटी–छोटी राशि के अनुमान पत्र बनाकर इनका आवंटन किया गया, जोकि अनियमित था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करे और भविष्य में निर्माण कार्यों आवंटन के लिए नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाई जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 संविदाकार से TDS की कटौती न करना

"Section 194(c) of Income Tax Act, provides that any payment made to the contractors for providing services exceeding ₹30000 as single time payment and aggregating ₹75000 during the financial year is liable to deduction of TDS@1% from the individual and @2% from firms/campnies etc. of the total payment." लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रामपुर बुशैहर द्वारा शहर में सफाई का अनुबन्ध श्री अशोक कुमार से किया तथा उसकी अवधि 2012–13 से 2014–15 तक ₹11,96,800 का भुगतान किया गया, परन्तु इस किए गए भुगतान से पूर्व ठेकेदार के बिल से नियमानुसार 1% के हिसाब से आयकर एक्ट के अन्तर्गत ₹11968 की कटौती TDS के रूप में नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद द्वारा ₹11968 का अधिक भुगतान किया गया। ठेकेदार को अवधि 2012–13 से 2014–2015 के दौरान जब–जब भुगतान किया, उसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	अनुबन्ध की अवधि	जितने माह बने	जिस दर से प्रति माह अनुबन्ध किया	जितना कुल भुगतान किया	जितना TDS की कटौती बनती थी
1	1.8.12 से 31.7.13	12	3700	44400	444
2	1.8.13 से 30.6.15	23	5300	121900	1219
3	1.8.13 से 30.6.15	23	20800	478400	4784
4	1.4.13 से 31.3.15	24	20400	489600	4896
5	1.2.15 से 30.6.15	5	12500	62500	625
			कुल	**1196800**	**11968**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर को ठेके पर दिए सफाई के भुगतान से नियमानुसार 1% TDS की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। इस सन्दर्भ में उत्तर में यह स्पष्टीकरण दिया है कि सम्बन्धित ठेकेदार से अब आयकर की कटौती

कर ली गई है, जिसका सत्यापन कर लिया गया। अतः भविष्य में नियमानुसार ठेके पर दिए सफाई कार्य या अन्य कार्य के भुगतान से नियमानुसार TDS कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

29 स्टॉक रजिस्टर के अनुसार विभागीय तौर पर निर्माण कार्य हेतु जारी 296 सीमेंट बैंगों की खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

नगर परिषद के अवधि 2013–14 से 2014–15 तक के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद द्वारा शहर में विभागीय तौर पर कार्य करने के लिए स्टॉक से सीमेंट जारी किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

इंडैट सं0/दिनांक	जितने बोरी सीमेंट लिया	जिस कार्य के लिए सीमेंट प्राप्त किया का ब्यौरा
1527/16, 27.1.14	96 Bags.	For Various deptt. Works
1531/16, 24.3.14	50 Bags.	-do-
1536/16, 22.4.14	50 Bags.	-do-
1550/16, 16.9.14	50 Bags.	-do-
1578/16, 15.1.15	50 Bags.	-do-
कुल बैग	**296** Bags.	

उक्त वर्णित सीमेंट किस–किस स्थान और किस–किस निर्माण कार्य में लगाया तथा इसकी प्रविष्टि कौन सी माप पुस्तिका में की गई, इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10, दिनांक 2.5.2016 द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन अंकेक्षण समापन तक कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अनियमितता की जांच नगर परिषद अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त के अतिरिक्त शहर में जितने भी निर्माण कार्य चाहे वे विभागीय तौर पर करवाए गए हैं या फिर संविदाकार के माध्यम से करवाए गए हों, उसका पूर्ण विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को स्टोर से सीमेंट जारी न करके बिना प्रमाण के भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संविदाकारों से शहर में विभिन्न निर्माण करवाए गए थे, परन्तु इन कार्यों में उपयोग किए गए सीमेंट को स्टोर से जारी नहीं किया था तथा जिस अवधि के दौरान यह निर्माण कार्य करवाए गए थे, उस समय अवधि 30.4.2013 से 22.11.2013 के दौरान नगर परिषद के स्टोर के तक पर्याप्त सीमेंट था। इसके साथ–साथ इन निर्माण कार्यों में सीमेंट का उपयोग संविदाकार द्वारा कहां से किया, उससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाण बिल/वाउचर के साथ संलग्न नहीं था, जिस बारे वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाएं, जिन निर्माण कार्यों को बिना स्टोर से सीमेंट से जारी कर किया गया उनका विवरण निम्न प्रकार से है।

निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका सं0	सीमेंट जितना उपयोग हुआ	भुगतान
C/o Public Urinal for male & female in ward no.-4	3 Page 22 से 28	37	107001
C/o R/wall & Development of cremation ground in ward no.-4 Rampur	3 Page 29 से 31	99	114130

31 नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में सीमेंट की खरीद के लिए हि0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन शिमला को अग्रधन के रूप में ₹75190 का अधिक भुगतान करने की सम्भावना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में हि0प्र0 राजकीय खाद्य आपूर्ति निगम शिमला को सीमेंट की आपूर्ति के लिए समय–समय पर अग्रधन के रूप में भुगतान किया गया तथा इसके एवज में निगम द्वारा नगर परिषद को सीमेंट की आपूर्ति भी की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–ड़(2)** पर संलग्न है, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक सीमेंट की आपूर्ति के लिए दिए गए अग्रधन तथा इसके एवज में प्राप्त सीमेंट के अनुसार ₹75190 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12, दिनांक 3.5.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिस सन्दर्भ में दिए उत्तर में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में निगम से मिलान किया जाना है। अतः नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में खातों का निगम से शीघ्र मिलान किया जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार कुछ एक भुगतान फर्मों को बिना औपचारिकताएं किए गए, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इन अनियमितताओं को नियमित करवाया जाए। किए गए भुगतानों का विवरण निम्न प्रकार से है।

वा0 सं0/ दिनांक	फर्म का नाम	जिस हेतु भुगतान किया	राशि	भुगतान में जो कमियां पाई गईं
797/ 20.12.14	श्री शशि राम	नगर परिषद के वाहन संख्याः एच0पी0–06ए0 –0720 को चलाने के लिए भुगतान	5000	ठेके पर रखे चालक को भुगतान किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा चालक के कार्य विवरण को सत्यापन करने के बिना किया गया
804/ 20.12.14	पत्रकारों को लवी के मेले के विज्ञापनों को प्रकाशित करने	–यथोपरि–	34970	9 पत्रकारों को लवी मेले के विज्ञापन के लिए भुगतान किया गया, परन्तु इस भुगतान के साथ मेला कमेटी की बैठक में विज्ञापन से सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रति

	पर भुगतान			संलग्न नहीं की
807 / 20.12.14	प्रबन्ध निदेशक एच0पी0एस 0सी0एस0 निगम शिमला	सीमेंट की आपूर्ति के लिए	151377	नगर परिषद पे प्रबन्ध निदेशक एच0पी0एस0सी0 निगम को सीमेंट की आपूर्ति के लिए अग्रधन के रूप में भुगतान किया। भुगतान के बिल के साथ कोई भी निगम की Perform Invoice आदि संलग्न नहीं थी
817 / 20.12.14	सहायक अभियन्ता, आई0पी0एच0 रामपुर	लवी मेला में पानी की आपूर्ति	79994	भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिल को पारित करवाए किया गया
820 / 22.12.14	प्रबन्धक, हि0प्र0 ऐग्रो इण्डस्ट्रीज, शिमला	वाहन संख्याः एच0पी0–06ए0 –0720 के लिए दो टायरों की खरीद	17871	वाहन के लिए खरीद किए टायरों की प्रविष्टि नं0 सहित और जिस किस्म के टायर हैं, के साथ स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी और न ही पुराने टायरों को स्टोर में वापिस लेने सम्बन्धित कोई प्रमाण बिल के भुगतान के साथ दिया
823 / 22.12.14	श्री अशोक कुमार सफाई ठेकेदार	लवी मेले में सफाई के कार्य का भुगतान	90000	भुगतान वाउचर के साथ न तो ठेकेदार द्वारा बिल दिया गया और न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन के आधार पर किए सफाई कार्य का ब्यौरा दिया गया था और न ही किन शर्तों के आधार पर सफाई का ठेका दिया गया, से सम्बन्धित कोई अभिलेख साथ संलग्न था
740(4) / 25.11.13	श्री विवेक शर्मा संविदाकार	प्रतिभूति राशि का भुगतान	45148	वाउचर के साथ लगाए प्रतिभूति Refund के Preform में जो माप पुस्तिका संख्याः 7, पृष्ठ–69 से 74 दर्शाई है उसमें प्रतिभूति राशि से कटौती की प्रविष्टि नहीं थी
798 / 20.12.14	श्री शेर सिंह संविदाकार	–यथोपरि–	10203	M.B No.-7 पृष्ठ–77 में इस भुगतान से सम्बन्धित प्रविष्टि नहीं थी
706 / 13.11.13	लवी मेले पर स्थानीय कलाकारों को भुगतान	लवी समारोह में भुगतान	235000	कमेटी द्वारा कलाकारों को भुगतान करने से सम्बन्धित अनुमोदन नहीं किया था
715 / 18.11.13	-do-	-do-	25000	–यथोपरि–
725 / 20.11.13	-do-	-do-	10000	
737 / 25.11.13	श्री दलीप कुमार सेवादार	यात्रा भत्ता दावा	1304	यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित / अनुमोदित नहीं था

33 शहर में स्ट्रीट लाईटस के रख–रखाव के लिए खरीद गए ₹3.39 लाख के बिजली के सामान से सम्बन्धित अनियमितताए

नगर परिषद रामपुर द्वारा शहर में स्ट्रीट लाईटस के रख–रखाव के लिए स्थानीय मार्किट से निविदाओं के आधार पर ₹339167 के बिजली के सामान की खरीद न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्ज करेट इलैक्ट्रीक्लस, पदम नगर, रामपुर बुशैहर से की गई, जिसका भुगतान नगर परिषद द्वारा वाउचर संख्याः 799, दिनांक 20.12.2014 के अन्तर्गत चैक संख्याः 894266 द्वारा किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं।

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बिजली के सामान की खरीद निविदाओं के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म से की तथा इस सामग्री की खरीद के लिए केवल मात्र स्थानीय फर्मों से कुटेशनों के लिए इसका विज्ञापन अमर उजाला में रामपुर बुशैहर वाले पृष्ठ पर दिया, जबकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली, 2009 की धारा 103 के अनुसार दस लाख की सामग्री की खरीद के लिए राजकीय स्तर पर टैंडर आमन्त्रित करके सामग्री की खरीद न्यूनतम दर वाली फर्म से की जानी थी। इसके साथ–साथ यदि इस सामग्री की आपूर्ति रेट कैन्ट्रेक्ट वाली फर्म से सम्भव थी तो इस सामग्री की आपूर्ति आवश्यकतानुसार रेट कैन्ट्रक्ट वाली फर्म की जानी थी। यदि रेट कैन्ट्रेक्ट वाली फर्म के पास यह सामग्री नहीं थी, तो इसका अनापति प्रमाण पत्र भण्डार नियन्त्रक (हि0प्र0) से प्राप्त करके हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के अघ्याय–6 में दिए नियमों के आधार पर खुले बाजार से खरीद की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा बिना भ्ण्डार नियन्त्रक (हि0प्र) से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना और हि0प्र0 वित्तीय नियमावली में दिए नियमों की अवहेलना करते हुए इस सामग्री की खरीद स्थानीय फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित करके न्यूनतम दर वाली फर्म से की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसके भविष्य में बिजली के सामान की उतनी ही आपूर्ति ली जाए, जितनी आवश्यक हो, ताकि समय अवधि में ही सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और स्टॉक में अनाधिकृत रूप से अधिक समय तक बकाया में न रहे, क्योंकि उक्त खरीदी गई समस्त सामग्री का नगर परिषद द्वारा अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है।

34 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में कर्मचारियों को ₹630 का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के माह 11/2013 के व्यय वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्याः 686, दिनांक 8.11.2013 द्वारा कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹20031 का भुगतान किया गया है, जिसमें से कुछ एक कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

कर्मचारी का नाम एवं पद	मरीज का नाम	कर्मचारी से सम्बन्ध	जितना दावा किया	जितने का भुगतान किया	अधिक भुगतान	टिप्पणी
श्री सोहन लाल लिपिक	श्रीमति प्रेम लता	पत्नी	448	638	190	गलत गणना पर अधिक भुगतान किया गया
श्री घुडों राम	श्रीमति चुड़ामणि	पत्नी	3929	3299	630	इस बिल के साथ जो VSG तथा X-Ray(KVB) का भुगतान किया गया वे प्राईवेट से करवाया गया था, जोकि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सीमित किया जाना था। इस प्रकार ₹630 का अधिक भुगतान किया

जहां से टैस्ट करवाया	विवरण	जितना भुगतान किया	जितना बनता था	अधिक भुगतान
SIGMA SCANNING & Diagnostic centre Rampur CM No.-17125 Dt. 5.10.13	VSG	600	120	480
-do- CM No.-1408 Dt. 7.10.13	X-Ray(KVB)	200	50	150
		कुल अधिक भुगतान		**630**

अतः इस अधिक किए भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियेां से करके अपेक्षित राशि नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 नगर परिषद के कर्मचारियेां को पूर्व अवधि (Back date) से पदोन्नति देने बारे

नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों को हि0प्र0 सरकार के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्याः यू0डी0–बी0(1)–1/2010, पार्ट–III, दिनांक 28.1.2015 में जारी निर्देशों तथा इन निर्देशों के अन्तर्गत नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 360, दिनांक 13.2.2015 के अनुसार पात्र कर्मचारियेां को उनकी देय तिथि से पदोन्नति लाभ प्रदान किया गया, जबकि अधिसूचना जारी करने से पूर्व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति को शक्तियां निदेशक शहरी विकास हि0प्र0 के पास थी। अतः दिनांक 28.1.2015 से पूर्व अवधि (Back Date) से नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को दी पदोन्नति को तब तक न्योचित नहीं माना जा सकता, जब तक इसकी कार्योत्तर स्वीकृति निदेशक शहरी विकास हि0प्र0 से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14, दिनांक 7.5.2016 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा था, परन्तु इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण अंकेक्षण में अंकेक्षण समापन तक नहीं दिया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है

कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को पूर्व तिथि से दी पदोन्नति नियमानुसार सही नहीं थी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी कार्योत्तर स्वीकृति निदेशक शहरी विकास हि0प्र0 से अविलम्ब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

36 अनाधिकृत रूप से मकान/किराया भत्ते की ₹8500 का भुगतान करना

हि0प्र0 सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः Fin(c)(B)(7)1/12, दिनांक 28.2.2012 द्वारा सरकारी कर्मचारियों को संशोधित दर से मकान/किराया भत्ते का भुगतान किया गया, परन्तु संशोधित दरों से भुगतान करने से पूर्व हर सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी से सरकारी आवास के आबंटन न होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। यदि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के पास सरकारी आवास है, तो उनका मकान/किराया भत्ता देय नहीं होगा, अपितु ऐसे कर्मचारियों से सरकारी दर से लाइसैंस फीस की कटौती की जाएगी। अंकेक्षण के दौरान माह 12/2014 तथा 11/2013 के वेतन के बिलों में पाया गया कि श्री Guddu Ram Bhisti को वेतन के साथ मकान/किराया भत्ते का भुगतान किया गया तथा साथ में ही ₹106 प्रतिमाह के हिसाब से लाईसैंस फीस की कटौती भी गई थी, क्योंकि कर्मचारी को एम0सी0 रामपुर द्वारा आदेश संख्याः 1250–51, दिनांक 14.5.2012 द्वारा आवास आवंटित था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को अवधि 1.6.2012 से 31.3.2015 तक मकान/किराया भत्ता के रूप में ₹8500 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 6.5.2016 द्वारा नगर परिषद को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिस सन्दर्भ में उन्होंने कोई उत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया, परन्तु मौखिक रूप से बताया कि सम्बन्धित कर्मचारी से इस अनियमित भुगतान की वसूली कर ली गई है, जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 पैंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि

(क) नगर परिषद रामपुर में अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 में पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय **परिशिष्ट–(च**) में संलग्न है, जिसके अनुसार इस निधि में दिनांक 31.3.2015 को ₹3140145 में बकाया है।

(ख) निवेश

उक्त निधि में से अवधि 31.3.2015 को सावधि जमा योजना में निवेश राशियों का विवरण **परिशिष्ट–(च)** में संलग्न है।

(ग) निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में ₹3582.50 कम प्राप्त करना

अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के दौरान सावधि में निवेश राशियों की जांच करने पर पाया गया कि H.P. Co-Op Bank FDR No. 43130102763 में निवेश के अन्तर्गत निवेशित ₹1056199 जोकि परिपक्व पर ₹1150931 दर्शाई गई है, उसमें ₹3582.50 कम दर्शाई गई है, क्योंकि

वास्तव में परिपक्व पर ₹1154513.50 बनती है। अतः कम प्राप्त की गई ₹3582.50 की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए और ₹3582.50 की वसूली करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिष्चित की जाए।

38 **लघु आपत्ति विवरणिका** यह अलग से जारी नहीं की गई।

39 **निष्कर्ष** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय अंकेक्षण विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)51/86–खण्ड–5–6071–6072 दिनांकः 16.11.2016, शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

पंजीकृत : 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेंजें।

2 निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय अंकेक्षण विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट–"A" (पैरा संख्याः 1(ग) से सन्दर्भित)

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1967 से 3/1968

1	पैरा 2(ए)व(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1968 से 3/1969

1	पैरा 3(डी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1970 से 3/1975

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ए)(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ए)(11)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)(12)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(1) मद–1	अनिर्णीत
8	पैरा 8(2) मद–2	अनिर्णीत
9	पैरा 11(1) ए से च	अनिर्णीत
10	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(5)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(8)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(5)	अनिर्णीत
21	पैरा 12(6)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(7)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(8)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(9)	अनिर्णीत
25	पैरा 12(11)	अनिर्णीत
26	पैरा 12(12)	अनिर्णीत
27	पैरा 12(13)	अनिर्णीत
28	पैरा 12(14)	अनिर्णीत
29	पैरा 12(15)	अनिर्णीत
30	पैरा 12(16)	अनिर्णीत
31	पैरा 12(17)	अनिर्णीत
32	पैरा 12(18)	अनिर्णीत
33	पैरा 12(19)	अनिर्णीत
34	पैरा 12(20)	अनिर्णीत
35	पैरा 12(21)	अनिर्णीत
36	पैरा 12(22)	अनिर्णीत

37	पैरा 12(23)(बी)(2)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(23)(बी)(5)	अनिर्णीत
39	पैरा 12(23)(बी)(6)	अनिर्णीत
40	पैरा 12(23)(बी)	अनिर्णीत
41	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
42	पैरा 14(16)	अनिर्णीत
43	पैरा 14(27)	अनिर्णीत
44	पैरा 14(30)	अनिर्णीत
45	पैरा 14(44)	अनिर्णीत
46	पैरा 14(45)	अनिर्णीत
47	पैरा 14(50)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(51)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1980

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ए)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ए)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1987

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(6)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

1	पैरा 16	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(3)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(6)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(7)(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(7)(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 18	अनिर्णीत
8	पैरा 19(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 19(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 19(2)(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 19(2)(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 19(2)(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 21(9)(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 21(9)(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 22(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 23(5)	अनिर्णीत
20	पैरा 23(7)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1994

1	पैरा 8(11)	अनिर्णीत

2	पैरा 10(4)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10(6)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10(7)(1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 10(7)(2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 13(3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 13(4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 13(5)(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 13(5)(2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13(6)(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(6)(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13(6)(3)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(1)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	
17	पैरा 15(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 15(3)	अनिर्णीत	

(9) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेष षिमला दिनांक 27.11.1993 की निरीक्षण टिप्पणी

1	पैरा 2(ज)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(3)	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/2004

1	पैरा 7(1)(2)(3)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011–Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 10(6)(ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 11(1) से (9)	अनिर्णीत	
6	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 15(6)	अनिर्णीत	
8	पैरा 15(7)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011– Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 के अनुसार
9	पैरा 15(8)	निर्णीत	(उपरोक्त पत्र के अनुसार)
10	पैरा 15(11)	अनिर्णीत	
11	पैरा 15(13)	अनिर्णीत	
12	पैरा 15(14)	अनिर्णीत	
13	पैरा 15(15)	अनिर्णीत	
14	पैरा 15(16)	अनिर्णीत	
15	पैरा 15(30)	अनिर्णीत	
16	पैरा 16(1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 16(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 16(3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 16(4)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011– Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 के अनुसार)
20	पैरा 16(5)	अनिर्णीत	
21	पैरा 16(7)	अनिर्णीत	

22	पैरा 16(9)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
23	पैरा 16(12)	अनिर्णीत	
24	पैरा 16(13)	अनिर्णीत	
25	पैरा 16(14)	अनिर्णीत	
26	पैरा 16(15)	अनिर्णीत	
27	पैरा 16(17)	अनिर्णीत	
28	पैरा 16(18)	अनिर्णीत	
29	पैरा 16(25)	अनिर्णीत	
30	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
31	पैरा 18(4)	अनिर्णीत	
32	पैरा 18(7)	अनिर्णीत	
33	पैरा 18(11)	अनिर्णीत	
34	पैरा 19(1) से (7)	अनिर्णीत	
35	पैरा 19(12)	अनिर्णीत	
36	पैरा 19(17)	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा 2(ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011– Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 के अनुसार
2	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	
3	पैरा 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 16	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011– Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 के अनुसार
5	पैरा 27	अनिर्णीत	
6	पैरा 28	निर्णीत	(उपरोक्त दर्शाए गए पत्र के अनुसार)
7	पैरा 29	निर्णीत	(उपरोक्त दर्शाए गए पत्र के अनुसार)
8	पैरा 30	निर्णीत	(उपरोक्त दर्शाए गए पत्र के अनुसार)
9	पैरा 31	अनिर्णीत	
10	पैरा 34	निर्णीत	(उपरोक्त दर्शाए गए पत्र के अनुसार)
11	पैरा 35	अनिर्णीत	
12	पैरा 36	अनिर्णीत	
13	पैरा 37(1)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्याः 1–548/2011– Fin(LA)-Vol-I, 3257, दिनांक 31.5.2016 के अनुसार
14	पैरा 38	अनिर्णीत	
15	पैरा 39(2)	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क चैक संख्याः 777302 दिनांक 20.7.2013 ₹44400) हि0प्र0 स्थानीय अंकेक्षण विभाग को भेजी गई की पुष्टि उपरान्त
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्ममान अंकेक्षण के पैरा संख्याः 4 में दी गई है।)
3	पैरा 4(1)	निर्णीत	(निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज की ₹592107 की प्रविष्टि

			रोकड़ वही के पृष्ठ 137, दिनांक 31.1.2014 पर की दी गई, की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
4	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पर दी गइ है और जो राशियां परिपक्व हो गईं, उसकी पुष्टि भी रोकड़ वही के बैंक कॉलम में कर ली गई)
5	पैरा 5(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
7	पैरा 6(1)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन ने दर्शाई गई है)
8	पैरा 6(2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
9	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(5)	निर्णीत	(विभाग द्वारा दिए सटिप्पण उत्तर जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया कि सराय निर्माण के जो अनुदान प्राप्त हुआ था उसका उपयोग इसलिए नहीं किया गया कि भूमि विवाद के कारण निर्माण नहीं हो सका और अनुदान राशि वी0डी0ओ0 के निर्देशानुसार वापिस कर दी गई)
12	पैरा 7(1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
13	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 7(3)	निर्णीत	(वर्ष 2012–13 से गृहकर दाताओं की Assessment के निर्धारण से सम्बन्धित रजिस्टरों के अवलोकन उपरान्त)
15	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7(5)	निर्णीत	(सम्बन्धित सरकारी विभागों से स्टॉलों के किराये की वसूली ₹110000 की कर ली गई थी, जिसकी रसीदों की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
17	पैरा 7(6)	निर्णीत	(नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 356, दिनांक 16.12.2014 के अनुसार लिए गए निर्णय एवं संविदाकार से जब्त सामान की प्रविष्टियों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख में करने के उपरानत पैरा निर्णीत)
18	पैरा 7(7)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7(8)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
20	पैरा 7(9)	निर्णीत	(बिजली विभाग से प्राप्त बिजली यूनिट के ब्यौरे तथा ₹59360 से सम्बन्धित 9–8 रसीदों की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
21	पैरा 8(1)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिए सटिप्पण उत्तर में 4–9–14 का लाभ निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति प्राप्त कर दिया जा रहा है। अतः विभाग द्वारा दिए सटिप्पण के आधार पर पैरा निर्णीत)
22	पैरा 8(2)	निर्णीत	(कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान ₹14624 की वसूली की पुष्टि उपरान्त पैरा समाप्त)
23	पैरा 8(3)	आंशिक निर्णीत	(लाईसैंस फिस की ₹49692 में से ₹49056 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
24	पैरा 8(4)	निर्णीत	(कर्मचारी की सेवा पंजिका से अर्जित अवकाष खाते में त्रुटि को ठीक कर दिया गया, जिसकी पुष्टि उपरानत पैरा निर्णीत)
25	पैरा 8(5)	निर्णीत	(कर्मचारी के सेवा पंजिका के अवकाश खाते में दर्ज अवकाश की प्रविष्टियों की पुष्टि तथा दिए गए उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)

26	पैरा 9(1)	निर्णीत	(ए0डी0एम0 शिमला उपाध्यक्ष लवी मेला कमेटी में लिए गए निर्णय अनुसार भुगतान लवी मेला निधि से किया गया था, जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
27	पैरा 9(2)	निर्णीत	(कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में रुप में किए गए अधिक भुगतान ₹4880 की वसूली की प्रविष्टियों के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
28	पैरा 9(3)	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
29	पैरा 9(4)	निर्णीत	(दिए गए स्पष्टीकरण की पुष्टि के आधार पर तथा प्रस्ताव संख्याः 207, दिनांक 12.11.2012 के अनुसार पैरा निर्णीत)
30	पैरा 9(5)	अनिर्णीत	
31	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
32	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 10(3)	अनिर्णीत	
34	पैरा 10(4)	अनिर्णीत	
35	पैरा 10(5)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 29362, दिनांक 18.5.2016 के द्वारा की गई वसूली उपरान्त पैरा निर्णीत)
36	पैरा 10(6)	निर्णीत	(₹1099 के अधिक भुगतान की वसूली माप पुस्तिका संख्याः 4, पृष्ठ 85—88, दिनांक 30.5.2014 को कर दी गई, जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
37	पैरा 10(7)	निर्णीत	(वाउचर संख्याः 292, दिनांक 14.7.2014 को अधिक भुगतान की वसूली की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
38	पैरा 10(8)	निर्णीत	——यथोपरि——
39	पैरा 10(9)	अनिर्णीत	
40	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है)
41	पैरा 11(2)	निर्णीत	(₹2020009 को चैक संख्याः 777752, दिनांक 20.3.2014 तथा चैक संख्याः 896465, दिनांक 27.1.2015 द्वारा पैंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि में जमा करने व रोकड़ वही में की गई प्रविष्टि की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
42	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
43	पैरा 12	अनिर्णीत	
44	पैरा 13(1)	निर्णीत	(संविदाकारों से सीमेंट बैग की वसूली वाउचर संख्याः 292 दिनांक 14.7.2014 तथा रसीद संख्या 27401, दिनांक 28.5. 2016 द्वारा किए जाने की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
45	पैरा 13(2)	निर्णीत	(चल अचल सम्पत्ति का सत्यापन प्रधान, कार्यकारी अधिकारी एवं दो सदस्यों की कमेटी से करवाया गया, जिसके अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
46	पैरा 14	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.2013 तक अनिर्णीत पैरे	200
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	35
कुल योग	235
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	44
31.3.2015 को अथशेष	191